

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1 से 7**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु वेतन, भत्ते एवं कार्यालय व्यय आदि पर राशि रूपये 24.00 लाख का व्यय संभावित है । इसके लिए रूपये 3.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया है ।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति तथा अन्य व्यय हेतु राशि रूपये 24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।